रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1996] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2014/आश्विन 7, 1936
No. 1996] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2014/ASVINA 7, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2014

का.आ. 2529(अ).—जबकि केंद्रीय सरकार ने वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड (इसमें इसके बाद उक्त कंपनी के रूप में संदर्भित) में व्यापारिक पण्यों की खरीद-फरोख्त से संबंधित एक दिवसीय अवधि वाली सभी वायदा संविदाओं को दिनांक 5 जून, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 906(अ) द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के परिवर्तन से छूट प्रदान कर दी थी;

और जबकि ऐसी कंपनियों की गतिविधियों की जांच करने के बाद और प्राप्त अनुभव के आधार पर केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसी कंपनियां जो उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रदान की गई छूट के परिणामस्वरूप अपने मंच पर अविनियमित वायदा व्यापार की सुविधा से संपन्न रही हैं, वे उस प्रयोजन को पूरा करने में असफल रही हैं जिसके लिए उन्हें सृजित किया गया था तथा सरकार का यह सुविचारित मत है कि अनुवीक्षण और निगरानी, जोखिम प्रबंधन तथा निपटान प्रणालियों, कारपोरेट अभिशासन, इक्विटी ढांचा, भांडागार, विरोधों, आदि, के क्षेत्रों में ऐसी अविनियमित कंपनियों में व्यापार से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों को देखते हुए, ऐसी अविनियमित कंपनियों में वायदा व्यापार जनहित में नहीं है।

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड को प्रदान की गई छूट को वापस लेती है और दिनांक 5 जून, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 906(अ) को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. 1/3/2014-सीडी]

डॉ. सी. के. जी. नायर, सलाहकार (सीडी एवं सीएम)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affiars)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2014

S.O. 2529(E).— Whereas the Central Government in exercise of the powers under section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act), had exempted all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded on the National Spot Exchange Ltd. (hereinafter referred to as the said entity), from the operation of the provisions of the said Act, vide notification number S.O. 906 (E), dated the 5th June, 2007;

And whereas having examined the activities of the such entities and on the basis of the experience gained, the Central Government is of the view that such entities which were granted exemption under section 27 of the said Act, thereby facilitating unregulated forward trading on their platform, have failed to serve the purpose for which they were created and the Government is of the considered opinion that in view of various risks associated with trading in such unregulated entities in areas of monitoring and surveillance, risk management and settlement systems, corporate governance, equity structure, warehousing, conflicts, etc., the forward trading in such unregulated entities is not in public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the said Act, the Central Government hereby withdraws the said exemption granted to the National Spot Exchange Ltd. and rescinds the notification number S.O. 906(E), dated the 5th June, 2007, with immediate effect.

[F.No. 1/3/2014-CD]

Dr. C. K. G. Nair, Adviser (CD & CM)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2014

का.आ. 2530(अ).—जबकि केंद्रीय सरकार ने वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (इसमें इसके बाद उक्त कंपनी के रूप में संदर्भित) में व्यापारिक पण्यों की खरीद-फरोख्त से संबंधित एक दिवसीय अवधि वाली सभी वायदा संविदाओं को दिनांक 23 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1830(अ) के द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर दी थी;

और जबकि ऐसी कंपनियों की गतिविधियों की जांच करने के बाद और प्राप्त अनुभव के आधार पर केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसी कंपनियां जो उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रदान की गई छूट के परिणामस्वरूप अपने मंच पर अविनियमित वायदा व्यापार की सुविधा से संपन्न रही हैं, वे उस प्रयोजन को पूरा करने में असफल रही हैं जिसके लिए उन्हें सृजित किया गया था तथा सरकार का यह सुविचारित मत है कि अनुवीक्षण और निगरानी, जोखिम प्रबंधन तथा निपटान प्रणालियों, कारपोरेट अभिशासन, इक्विटी ढांचा, भांडागार, विरोधों, आदि, के क्षेत्रों में ऐसी अविनियमित कंपनियों में व्यापार से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों को देखते हुए, ऐसी अविनियमित कंपनियों में वायदा व्यापार जनहित में नहीं है।

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड को प्रदान की गई छूट को वापस लेती है और दिनांक 23 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1830(अ) को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. 1/3/2014-सीडी]

डॉ. सी. के. जी. नायर, सलाहकार (सीडी एवं सीएम)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2014

S.O. 2530(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers under section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act), had exempted all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded on the NCDEX Spot Exchange Ltd. (hereinafter referred to as the said entity), from the operation of the provisions of the said Act, vide notification number S.O.1830(E), dated the 23rd July, 2008;

And whereas having examined the activities of the such entities and on the basis of the experience gained, the Central Government is of the view that such entities which were granted exemption under section 27 of the said Act, thereby facilitating unregulated forward trading on their platform, have failed to serve the purpose for which they were created and the Government is of the considered opinion that in view of various risks associated with trading in such unregulated entities in areas of monitoring and surveillance, risk management and settlement systems, corporate governance, equity structure, warehousing, conflicts, etc., the forward trading in such unregulated entities is not in public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the said Act, the Central Government hereby withdraws the said exemption granted to the NCDEX Spot Exchange Ltd. and rescinds the notification number.S.O.1830 (E), dated the 23rd July, 2008 with immediate effect.

[F.No. 1/3/2014-CD]

Dr. C. K. G. NAIR, Adviser (CD & CM)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2014

का.आ. 2531(अ).—जबकि केंद्रीय सरकार ने वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय कृषि उत्पाद विपणन कंपनी लिमिटेड (नेशनल एपीएमसी) (इसमें इसके बाद उक्त कंपनी के रूप में संदर्भित) में व्यापारिक पण्यों की खरीद-फरोख्त से संबंधित एक दिवसीय अवधि वाली सभी वायदा संविदाओं को दिनांक 11 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1977(अ) द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर दी थी;

और जबकि ऐसी कंपनियों की गतिविधियों की जांच करने के बाद और प्राप्त अनुभव के आधार पर केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसी कंपनियां जो उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रदान की गई छूट के परिणामस्वरूप अपने मंच पर अविनियमित वायदा व्यापार की सुविधा से संपन्न रही हैं, वे उस प्रयोजन को पूरा करने में असफल रही हैं जिसके लिए उन्हें सृजित किया गया था तथा सरकार का यह सुविचारित मत है कि अनुवीक्षण और निगरानी, जोखिम प्रबंधन तथा निपटान प्रणालियों, कारपोरेट अभिशासन, इक्विटी ढांचा, भांडागार, विरोधों, आदि, के क्षेत्रों में ऐसी अविनियमित कंपनियों में व्यापार से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों को देखते हुए, ऐसी अविनियमित कंपनियों में वायदा व्यापार जनहित में नहीं है।

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय राष्ट्रीय कृषि उत्पाद विपणन कंपनी लिमिटेड (नेशनल एपीएमसी) को प्रदान की गई छूट को वापस लेती है और दिनांक 11 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1977 (अ) को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. 1/3/2014-सीडी]

डॉ. सी. के. जी. नायर, सलाहकार (सीडी एवं सीएम)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2014

S.O. 2531(E).— Whereas the Central Government in exercise of the powers under section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act), had exempted all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded on the National Agriculture Produce Marketing Company of India Ltd. (National APMC) (hereinafter referred to as the said entity), from the operation of the provisions of the said Act, *vide* notification number S.O.1977 (E), dated the 11th August, 2010;

And whereas having examined the activities of the such entities and on the basis of the experience gained, the Central Government is of the view that such entities which were granted exemption under section 27 of the said Act, thereby facilitating unregulated forward trading on their platform, have failed to serve the purpose for which they were created and the Government is of the considered opinion that in view of various risks associated with trading in such unregulated entities in areas of monitoring and surveillance, risk management and settlement systems, corporate governance, equity structure, warehousing, conflicts, etc., the forward trading in such unregulated entities is not in public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the said Act, the Central Government hereby withdraws the said exemption granted to the National Agriculture Produce Marketing Company of India Ltd. (National APMC) and rescinds the notification Number. S.O.1977(E), dated the 11th August, 2010 with immediate effect.

[F.No. 1/3/2014-CD]

Dr. C. K. G. NAIR, Adviser (CD & CM)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.